विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–241/2023

हीरा जोशी
पत्नी श्री महेश चन्द्र जोशी
चुड़ामणी स्टेट, नीलकण्ठ विघा
ऊंचापुल, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। — परिवादिनी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। — विपक्षी

निर्णय

1. परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र दिनांक 29.08.2023 में कहा गया है कि मैं हीरा जोशी पत्नी श्री महेश चंद्र जोशी निवासी नीलकंठ विहार, चूड़ामणि एस्टेट, चीनपुर ऊँचापुल आपको यह अवगत कराना चाहती हूँ हमारे लाइन मैन द्वारा बताया की घर के मीटर में कुछ गड़बड़ी आ गई है जिससे बिजली का बिल तेइस हजार रुपये आया है जबकि मेरे घर पर बिजली का इतना खर्च नहीं होता है जबकि पूर्व माह में बिजली का बिल लगभग चौदह पंद्रह सौ आया करता है। महोदय आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि इससे पूर्व भी मेरी बिलिंग सम्बन्धी समस्या(वाद संख्या–142/2022) का समाधान मंच द्वारा किया गया है जिसका वह आजीवन आभारी है। व मंच की कार्यप्रणाली की सराहना करता है। परन्तु आज फिर विभाग द्वारा उसे अधिक धनराशि का बिल देकर परेशान किया गया है। महोदय मार्च 2023 से अगस्त 2023 तक का इतना बिल बहुत ज्यादा है। महोदय उक्त अत्यधिक बिल से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कृपया मुझे इस दुविधा से मुक्त करने की कृपा करे। जिससे कि मैं सही बिल समय से जमा करा सकूं। आपकी अति कृपा होगी।

क्रमशः

2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांक 06.09.2023 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता को वर्तमान में टी०डी०एस० द्वारा ली गयी रीडिंग के अनुसार विद्युत बिल प्रेषित किये गये हैं। प्रमाण स्वरूप टी०डी०एस० द्वारा विद्युत मीटर के ईमेज की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है (कागज संख्या–3 / 1)। यदि शिकायतकर्ता अपने वर्तमान विद्युत बिल से संतुष्ट न हों तो वे उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, कमलुवागांजा के कार्यालय में चैक मापक शुल्क जमा कर चैक मापक लगवा सकते हैं अथवा विभागीय टोल फ्री नम्बर 1912 में भी चैक मापक हेतु रजिस्ट्रेशन करवाकर उक्त उपखण्ड कार्यालय में चैक मापक शुल्क जमा कर सकते हैं।
3. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादिनी की कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत की गयी है। हिस्ट्री के अनुसार परिवादिनी को मीटर यूनिट (MU) के बिल जारी किये गये हैं। परिवादिनी ने अपनी शिकायत में ₹ 23000.00 का बिल जारी किये जाने का उल्लेख किया है परन्तु हिस्ट्री में इतनी धनराशि का कोई भी बिल विपक्षी द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। परिवादिनी द्वारा उक्त धनराशि पिछले कुछ बिलों के योग के आधार पर उल्लेखित की गयी प्रतीत होती है हिस्ट्री के अनुसार परिवादिनी को उसकी खपत के आधार पर मीटर रीडिंग के ही बिल जारी किये जा रहे हैं। मंच के मत में परिवादिनी को अपने बिलों / मीटर के संबध में कोई शंका है तो वह अपने मीटर की शुद्धता के लिये चैक मापक हेतु विपक्षी कार्यालय में निर्धारित शुल्क के लिये आवेदन कर सकता है अतः वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील प्रस्तुत कर सकती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–06/9/2023

06/09/23		06/09/2023
(हिमांशु बहुगुणा)	**(पी सी पाण्डेय)**	**(टीकाराम जोशी)**
सदस्य (उपभोक्ता)	**सदस्य (तकनीकी)**	**सदस्य (न्यायिक)**

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः–06/9/2023

(हिमांशु बहुगुणा)	**(पी सी पाण्डेय)**	**(टीकाराम जोशी)**
सदस्य (उपभोक्ता)	**सदस्य (तकनीकी)**	**सदस्य (न्यायिक)**